

MR. CHAIRMAN: The question is pertaining to Delhi. You should not expand the scope of it.

श्रीमती कुमकुम राय: सभापति महोदय, अभी असंगठित क्षेत्र के बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया है। मेरा प्रश्न यह है कि इस असंगठित क्षेत्र में महिला श्रमिकों के विषय में क्या कोई गणना कराई गई है और क्या इन महिला श्रमिकों के लिए चिकित्सा, जल, शिक्षा, बिजली, राशन और आवास जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कोई व्यवस्था कर रही है?

डा. सत्यनारायण जटिया: महिला श्रमिकों के बारे में उनको वेतन देने के लिए कोई डिस्ट्रिक्टमिनेशन न हो इसलिए पेमेंट आफ इक्वल वेजिज का प्रावधान वहां पर किया हुआ है। महिला श्रमिकों को फैक्टरी में काम करने के लिए उनको किस काम में लगाया जाना चाहिए और किस काम में नहीं लगाया जाना चाहिए इस प्रकार के प्रतिबंध भी इसमें लगाए गए हैं। उनको चिकित्सा, मेटरनिटी लाभ और अन्य सुविधाएं देने की कानून में व्यवस्थाएं भी हैं। इन्हीं सब चीजों से संबंधित एक तीसरा प्रश्न भी आ रहा है। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के बारे में सरकार की चिंता क्या है। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का एक दिशा-निर्देश भी है कि इस प्रकार की महिला श्रमिक जहां-जहां भी काम करती हैं उनका किसी प्रकार का हार्समेंट न हो, उनको किसी प्रकार की कठिनाई महसूस न हो। सारे कानूनों के प्रावधानों के रहते हुए इनकी सुरक्षा करने का पूरा दायित्व सरकार का है और निश्चित रूप से यह जो वर्क फ़्रेस है या जो असंगठित क्षेत्र में है चूंकि पुरुष और उसकी तुलना में प्रायः एक तिहाई ही है। निश्चित रूप से महिला श्रमिकों को सब प्रकार की सुविधाएं देने और उनकी सुरक्षा करने के लिए जो भी उपाय किए जा सकते हैं वह कानूनों के प्रावधान के अंतर्गत लिखे हैं और साथ ही साथ उनके ऊपर यदि कोई अत्याचार होता है, कोई अन्याय होता है और उसकी शिकायत मिलती है तो उस पर कार्रवाई करने के लिए सब संबंधित सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।

*162. *[The Questioner (Shri Ramdas Agarwal) was absent. For answer vide page 24 infra.]*

श्री रामचन्द्रैया रूमन्दला: सर, मैं भी उसमें बोलना चाहता था। ... (व्यवधान)

श्री सभापति: हमने 25 मिनट एक सवाल पर दिए हैं।

श्री रामचन्द्रैया रूमन्दला: श्रमिकों के लिए बोल रहे हैं, गरीबों के लिए बोल रहे हैं। ... (व्यवधान)

श्री सभापति: कल तो चार बार आप बोले थे। Next Question, Shri Ramachandra Khuntia.

Wages to women workers

*163. SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that women workers in agricultural field and construction projects are getting less wages than the male workers;

(b) whether Government are aware that some Central Public Sectors are also refusing the employment to the women; and

(c) if so, what is the action plan of Government against such discriminatory attitude towards the women?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATTYA): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Women workers in agriculture and construction projects come under the unorganized sector and their wages are paid as per provision of the Minimum Wages Act, 1948. The Act does not make any distinction on the basis of sex.

The Equal Remuneration Act, 1976 which extends to the whole of India, provides for equal remuneration to women for the same work or work of a similar nature.

Government is not aware of Central Public Sector having refused employment to women.

Considering the special problems of the women workers and in order to pre-empt their exploitation in various employments including agricultural and construction work, several laws have been enacted by the Government, such as the Plantation Labour Act, 1951, the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970, the Inter-State Migrant Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979, the Maternity Benefit Act, 1961, the Building and other Construction (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996, etc.

श्री रामचन्द्र खूंटिया: श्रम मंत्री महोदय ने घुमा फिरा कर जो विवरण दिया है उसको विवरण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि विवरण में दिया है—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधान में सुविधा मिलती है और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 सम्पूर्ण भारत पर लागू है। सरकार के बागान श्रम अधिनियम, 1951, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970, अंतर्राष्ट्रियक प्रवासी कर्मकर (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961, भवन और अन्य निर्माण कर्मकर (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 हैं।

सभापति जी, यह जो कानून भारतवर्ष में हैं उनकी हम सब को जानकारी है, श्रम मंत्री को जानकारी है। गरीब मजदूरों को तो जानकारी नहीं है लेकिन जितनी ट्रेड यूनियन हैं और जितने लोग

हैं सब को जानकारी है। मगर प्रधान मंत्री जी को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने ऐसा श्रम मंत्री नियुक्त किया है कि कोई भी प्रश्न हो तो वे उसका उत्तर घुमा फिरा कर मधुर शब्दों में दे देते हैं। सवाल यह है कि हमारे भारतवर्ष में यह सब कानून तो हैं लेकिन श्रम मंत्री को क्या यह मालूम है कि यह कानून इम्प्लीमेंट होते हैं या नहीं? इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए भारतवर्ष में जो इक्वल रिम्यूनिरेशन ऐक्ट है और इस ऐक्ट के तहत भारतवर्ष में सारे राज्यों में इम्प्लीमेंट कराने का केन्द्र सरकार का जो अधिकार है तो क्या केन्द्रीय मंत्री महोदय को मालूम है कि किस-किस राज्य में कितने वॉयलेशन के केस हुए हैं इक्वल रिम्यूनिरेशन ऐक्ट में? इसके अलावा इक्वल रिम्यूनिरेशन ऐक्ट के तहत एक कमेटी गठित करना है वह सभी राज्यों में है या नहीं है? और इस कमेटी की मीटिंग भी होती है या नहीं, इस पर मंत्री जी बतलाएंगे? दूसरी बात, यह सब होते हुए भी उसी क्षेत्र में जो वूमेन वर्कर्स हैं उनको कम तनखाह मिलती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत भी इनको कम तनखाह मिलती है। इस चीज की सब को जानकारी है। काफी राज्यों को भी इसकी जानकारी है कि महिलाओं को कितना मिलता है, बच्चों को कितना मिलता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इक्वल रिम्यूनिरेशन ऐक्ट के तहत जो कमेटी है वह हर राज्य में तथा केन्द्र सरकार में है या नहीं? अगर है तो उस कमेटी की मीटिंग कब-कब होती है, क्योंकि जानकारी है कि वह कमेटी बैठती ही नहीं है? दूसरी बात यह है कि जो कानून बताए गए हैं उनके तहत वॉयलेशन आफ इक्वल रिम्यूनिरेशन ऐक्ट में स्टेटवाइज कितने केस हुए हैं और किस केस में किसके ऊपर क्या-क्या पनिशमेंट हुआ है?

डा. सत्यनारायण जटिया: सभापति महोदय, समान वेतन देने के संबंध में, समान पारिश्रमिक देने के संबंध में 1976 का कानून बना हुआ है। उसमें महिलाओं को रोजगार के अवसर देने की व्यवस्था की गई है। उसमें कहा गया है कि महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों की व्यवस्था करने के प्रयोजनार्थ समुचित सरकार, जहां राज्य सरकारें हैं, वहां राज्य सरकार और जहां केन्द्र सरकार है वहां पर केन्द्र सरकार इनके नियोजन के लिए एक या एक से अधिक सलाहकार समिति गठित कर सकती है जो इन सारे प्रतिष्ठानों में महिलाओं के नियोजन के बारे में सलाह देगी। केन्द्र सरकार की जो समिति है उसकी हमने पिछली पांच फरवरी, 1999 को बैठक आयोजित की थी और उस बैठक में जो निष्कर्ष आए हैं, उनके आधार पर हमने कार्रवाई करने का काम शुरू कर दिया है। इसकी नई दिल्ली में पांच फरवरी, 1999 को बैठक हुई थी उसमें हमने महिला श्रमिकों से संबंधित जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर विचार किया था कि हम उनके रोजगार की कार्य प्रणालियों के बारे में क्या कर सकते हैं, महिलाओं के लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन की दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं, क्या इसके लिए कोई तंत्र विकसित किया जा सकता है, महिलाओं के कौशल के विकास की दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं। पिछली जो बैठक हुई थी उसमें इस प्रकार के निष्कर्ष को निकालने का काम हमने किया है। यह जो कानून बना है उस कानून के तहत क्या कार्रवाई हुई है, कितने इन्सपेक्शन हुये हैं, कितने वॉयलेशन हुए हैं, उसको कितना रेटोफाइड किया है, कितना प्रोसीक्युशन किया है, उसमें

कनविक्सन कितना हुआ है, एक्युटल कितना हुआ है, यह जानकारी मेरे पास है। राज्य सरकारों के साथ मिलकर जो 1996 में निरीक्षण किए गए थे, उनकी संख्या 15315 है। जहां पर वॉयलेशन पाया गया वह 2145 का, रेटीफाइड 17 का हुआ है, प्रोसीक्युशन लांच किया गया है वहां 260 और कनविक्सन जहां हो गया है वह 173 है। ये 1996 की फिगर्स हैं। फिर 1997 में 18716 इन्सपैक्शन हुए, उसमें 1869 वायलेशन डिटेक्ट हुए, वायलेशन रेटीफाइड हुए वह 169 थे, प्रोसीक्युशन लांच किया गया जो 243 का था और कनविक्सन के मामले 158 हुए हैं। इसी प्रकार से 1998 की फिगर्स हैं। हमने 1996 में जो सेंट्रल स्फेयर में इन्सपैक्शन किया है वह 4809 है, उसमें से वॉयलेशन जहां डिटेक्ट हुए वह 4692 है, जहां वॉयलेशन रेटीफाइड हुए उनकी संख्या 5241 है, जहां प्रोसीक्युशन लांच किया गया वह 1050 है, जहां कनविक्सन हुआ वह 801 है और जहां एक्युटल हुआ वह 39 है। वर्ष 1997 की जो फिगर्स हैं उसमें 4195 इन्सपैक्शन हुए और जहां वॉयलेशन डिटेक्ट हुआ है वह 4722 है, जहां वॉयलेशन रेटीफाइड हुआ है वह 4223 है, जहां प्रोसीक्युशन लांच हुआ है वह 1144 है, जहां कनविक्सन हुआ है वह 537 है और जहां एक्युटल हुआ है वह केवल 27 है। वर्ष 1998 के भी इसी प्रकार के आंकड़े हैं। 2350 इन्सपैक्शन हुए, 360...

श्री सभापति: आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है।

डा. सत्यनारायण जटिया: इस तरह से ये आंकड़े हैं। इसके लिए कानून है और कानूनों के तहत जो कार्रवाई की गई है, उसकी जानकारी देने का काम मैंने किया है।

MR. CHAIRMAN: You can lay it on the Table of the House.

डा. सत्यनारायण जटिया: सर, ठीक है।

श्री रामचन्द्र खूंटीआ: सभापति जी, यह सवाल कृषि क्षेत्र और निर्माण परियोजनाओं के अंतर्गत कार्यरत महिला कामगार के, असंगठित श्रमिकों के बारे में पूछा गया है। कृषि क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए और निर्माण परियोजनाओं के श्रमिकों के बारे में मंत्री महोदय ने पहले प्रश्न का उत्तर दिया था। मेरा प्रश्न यह है कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, 1996 के जो दो बिल पास हुए थे वे अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं और मंत्री महोदय ने लेबर स्टैंडिंग कमेटी में तथा कंसल्टेटिव कमेटी में यह बोला है कि he will convene a meeting of the Labour Ministers of the States for the implementation of this Act, as four years have already lapsed. So, I want a specific answer from the hon. Minister, when he is going to convene a meeting of the Labour Ministers of the States for the implementation of the Building and other Construction Workers Act, 1996. Sir, part (b) of my question is about the agricultural workers. You know, Sir, that कृषि क्षेत्र में काम करने वाले जितने वर्कर हैं इन वर्करों के लिए एक कम्प्रेहेंसिव लेबर लेजिसलेशन लाने के लिए हमारे देश के प्रधान मंत्री जब देवगोड़ा जी थे उन्होंने भी एलान किया था और ऐसा करने के लिए कागज-पत्र भी तैयार हो गए थे, मगर यह अफसोस की बात है कि जब हम किसी संगठित क्षेत्र के मजदूरों के बारे में डिसकशन करते हैं तो हमको यह बोला जाता है...

MR. CHAIRMAN: Please put your question. ...(*Interruptions*)... No, no.

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA: Sir, I want to know, when is this Government going to bring a comprehensive labour legislation for the agricultural workers.

MR. CHAIRMAN: That is all right.

डा. सत्यनारायण जटिया: मैंने जैसा कहा है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बारे में जो भी बात है और जो निष्कर्ष उसमें आए थे, राज्य सरकारों को मैंने अभी एक पत्र लिखा है कि आप अपने यहां पर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के वेलफेयर के बारे में जो कानून में प्रावधान है, उसके अंतर्गत उसका उपाय और प्रबंध करें। उसमें मैंने यह कहा है कि आप इसका जवाब शीघ्र देने की कोशिश करें जिससे हमें यह सुविधा हो जाए कि इसके बारे में केंद्र सरकार को और क्या करना है। साथ ही साथ हमने कहा है कि कॉम्प्रिहेन्सिव लेजिस्लेशन के बारे में निश्चित रूप से हमारा यह प्रयास है कि ...(*व्यवधान*)...

श्री जीवन राय: कब से होगा मंत्री जी? दस साल से बात हो रही है।

डा. सत्यनारायण जटिया: मुश्किल तो है। पिछले समय में श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में ...(*व्यवधान*)... सरकार ने इसमें ईमानदारी से प्रयास किया है। पिछले वक्त श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में हमने यह कहा था कि इसके बारे में क्या उपाय किए जाने चाहिए। ...(*व्यवधान*)...

SHRI JIBON ROY: Sir, there is no law for agricultural workers in the country. Under what law do agricultural workers come?

डा. सत्यनारायण जटिया: हमने कहा था कि ...(*व्यवधान*)... मुझे अवसर दिया जाए तो मैं इस बात को कहने का प्रयास करता हूं। हमने श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में कहा था कि इस प्रकार के जो एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं, इनके बारे में क्या किया जाना चाहिए। बहुत सारी राज्य सरकारों ने किसान और बाकी के लोगों पर किसी भी प्रकार का सेस लगाने का बिल्कुल विरोध किया था ...(*व्यवधान*)... और कुछ सरकारों ने इसके बारे में सहमति भी की है। ...(*व्यवधान*)...

SHRI JIBON ROY: Only landlords are opposing this, nobody else is opposing this. Is your Government a Government of landlords?

MR. CHAIRMAN: Please hear him.

डा. सत्यनारायण जटिया: हमारी कोशिश यह है कि क्योंकि यह सेस लगाने का मामला है और इस पर जो विचार हो रहा है, इसमें कोई निष्कर्ष अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं आया है। तब तक हम सरकार की ओर से ऐसे नियम बनाएँ जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने का पर्याप्त प्रबंध हो सके।

श्री सूर्यभान पाटील बहादुरे: माननीय सभापति जी, भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि में काम

करने वाले मजदूरों की संख्या बहुत बड़ी है और यह पूरा क्षेत्र असंगठित है। इस असंगठित क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की संख्या भी बहुत बड़ी है। उत्तर में कहा गया है कि न्यूनतम मजदूरी के लिए अलग-अलग समय पर अलग-अलग प्रावधान किए गए, 1948 से लेकर 1996 तक अनेक प्रकार के सुधार किए गए, ऐसा इसमें लिखा है। मेरा यह प्रश्न है कि कंप्लेंट आने के बाद तो सवाल होता है, हाउस में होता है, बाहर होता है या कानून के अनुसार होता है तो सरकार की ओर से, शासन की ओर से जो कुछ प्रावधान किए गए, उनके अनुसार कितनी मात्रा में सफलता प्राप्त हुई है? इस बारे में क्या कोई शासन की ओर से प्रयास हुआ है? यदि नहीं हुआ है तो क्या उसे करने का विचार करेंगे?

डॉ. सत्यनारायण जटिया: निश्चित रूप से विचार करने के लिए तो काफी अवसर हैं परन्तु यह जो कहा है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के वेतन को... हमने केंद्र की ओर से सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि कम से कम जो फ्लोर बेस है, जो न्यूनतम वेतन का आधार है, उसको कम से कम 45 रुपये हर जगह पर दिया जाना चाहिए और ईक्वल रिप्युनरेशन ऐक्ट में यह प्रावधान है कि महिला और पुरुष कर्मकारों में किसी भी प्रकार का अंतर न किया जाए। इसके साथ ही साथ उनके लिए जो कानून हमारे पास है, उसमें हमने सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम किया है कि एक्सीडेंट के मौके पर उनको क्या सहायता दी जानी चाहिए। इसी प्रकार से पेंशन के बारे में है। ई. एस. आई. की स्कीम में जो कवरेज दिया गया है, उसमें उसके पूरे परिवार को कवरेज दिया गया है कि एक व्यक्ति अगर अपना इंश्योरेंस कराता है तो... (व्यवधान)...

श्री सूर्यभान पाटील बहादुर: सभापति जी, मेरा सवाल इतना है कि अलग-अलग राज्यों में इसको असेस करने का कोई प्रयत्न हुआ है क्या?

डॉ. सत्यनारायण जटिया: वास्तव में मैंने जो कहा है कि इसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स को हमने कहा है और जिन सरकारों के दायरे का यह काम है, वे अलग-अलग सरकारें हैं। इसलिए हम राज्य सरकारों से आग्रह कर रहे हैं और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बारे में अनेक प्रदेशों ने अपनी तरह से कानून बनाए हैं। उनको संरक्षण देने की दृष्टि से कहीं कृषि मजदूरों के लिए कानून बनाए, कहीं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए कानून बनाए। मैंने जैसा कहा था कि केरल में यह है, तमिलनाडु में यह है, पश्चिम बंगाल में है और त्रिपुरा में है। इस प्रकार से राज्य सरकारें इस बारे में प्रयास कर रही हैं। जो नहीं कर रही हैं, उनके लिए हमारी कोशिश यह होगी कि इस बारे में किसी न किसी प्रकार के समग्र विधान की रचना करके इन सारे मजदूरों को, जैसा कि हमने सेकेंड लेबर कमीशन को भी यह काम दिया है और महिलाओं के बारे में विशेष रूप से तलाश करने के लिए कहा गया है। वहां से रिपोर्ट आने के बाद हम जरूर उनकी सिफारिशों पर अमल करने की कोई व्यवस्था करेंगे।

SHRI V.V. RAGHAVAN: Mr. Chairman, Sir, it is the responsibility of the Government of India to enact a legislation concerning agricultural workers for

the entire nation. This is the commitment to the House by various Governments. As far as my memory goes, the hon. Labour Minister himself said once that the Bill was ready. And there is no need to get opinions of the State Governments on this legislation. They may not agree to it. They may not be interested in the welfare of the agricultural workers. But it is the responsibility of the Government of India to bring forth a legislation for the welfare of agricultural workers of India. Now, there are more than 20 crores of agricultural workers. Please bring forth a legislation which you have promised once.

डॉ. सत्यनारायण जटिया: महोदय, माननीय सदस्य ने एग्रीकल्चर वर्कर्स के बारे में बिल लाने के लिए कहा है। जैसा मैंने पहले कहा कि विचार-विमर्श की प्रक्रिया के दौरान निष्कर्ष के रूप में यह आता है और कोशिश यह होती है कि बिल उनके भले के लिए हो। मेरी वित्त मंत्री जी से वेलफेयर स्कीमों के बारे में चर्चा हुई थी और हमने कहा कि बिल में कन्ट्रिवर्सी कम हो। सरकार इस स्कीम को लाकर वेलफेयर्स मेजर्स लेने की तैयारी कर रही है। यदि विधेयक के बारे में भी कुछ तैयारी होती है तो मुझे विश्वास है उसको लाने में सरकार पीछे नहीं रहेगी।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सभापति महोदय, श्रम शक्ति का 87 फीसदी हिस्सा कृषि के क्षेत्र में है इसीलिए मैं यह जानना चाहती हूँ कि जब 87 फीसदी हिस्सा महिलाओं का कृषि के क्षेत्र में काम कर रहा है और आपकी उदारीकरण की नीति के चलते कृषि के क्षेत्र में और भी ज्यादा महिला मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप कह रहे हैं कि समान काम के लिए समान मजदूरी कानून लागू है। लेकिन इसके बावजूद जितने सर्वे हुए हैं वे सारे के सारे इस बात की गवाही देते हैं कि इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। आन्ध्र प्रदेश में सर्वे हुआ जिसमें यह बताया गया कि एक एकड़ जमीन पर 8 मजदूरों को 300 रुपये दिए जा रहे थे और उसके बाद उस मालिक ने 8 की जगह 10 महिला मजदूरों को रखा और बदले में 200 रुपये दिए यानी 100 रुपये का उसको फायदा हुआ। इस तरह यदि हिसाब लगाकर देखा जाए तो करोड़ों करोड़ रुपया जमींदार कमा रहे हैं। इसके साथ ही खेत मजदूरों के लिए कोई कानून नहीं बन पाया है और इसके लिए कोई प्रयास भी नहीं कर रहा है। लगातार आंदोलन के बावजूद ऐसा कानून नहीं बन रहा है जो उनको गारंटी दे सके। महोदय प्रश्न बहुत व्यापक है इसलिए मेरा दूसरे प्रश्न का 'ब' भाग इससे जुड़ा हुआ है। चूंकि असंगठित क्षेत्रों में लगातार काम बढ़ता जा रहा है, इन्फॉर्मल सैक्टर अनोपचारिक है...

श्री सभापति: आपका सवाल हो गया है।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: इसमें महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए क्या काम कर रहे हैं?

श्री संघ प्रिय गौतम: कृषि नीति बन गई है, यह भी बन जाएगी।

डॉ. सत्यनारायण जटिया: अकुशल क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही हैं। यह कृषि का दायरा राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों का विषय है। जिन-जिन राज्य में सरकारें इस कानून को लागू करने के लिए तैयार हैं वहां समान मजदूरी दिलाने का काम करना चाहिए। जहां-जहां राज्य सरकारों को चिंता है, उस चिंता के आधार पर कानून लागू हो सकता है। इसमें सामाजिक जागृति भी बहुत बड़ा विषय है। इसलिए सामाजिक जागरण के माध्यम से इस काम को किया जा सकता है।...(व्यवधान)...

श्री मोहम्मद सलीम: सब कुछ शास्त्र में लिखा है।...(व्यवधान)...

डॉ. सत्यनारायण जटिया: निश्चित रूप से मजदूरों के बारे में चिंता करने का काम हुआ है। जहां महिला मजदूर काम करती हैं उनको सुरक्षा, संरक्षण देने का कानून है जैसे प्रसूति सुविधा है, ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराने की सुविधा है। चूंकि यह राज्यों का विषय है इसलिए उनको अधिक देखने का दायित्व राज्यों का है। जैसा अभी कहा है कि इसमें उदारीकरण का प्रभाव हो रहा है। वहां जाते-जाते उदारीकरण कितना होगा, यह तो समय आने पर पता लगेगा। किन्तु हम महिलाओं के बारे में उदार हैं, सजग हैं, जागरूक हैं। इसके साथ-साथ वैलफेयर मेजर्स भी लेंगे उसी पर ज्यादा निर्भर करता है और सरकार इसकी कोशिश कर रही है।

कुमारी फ़िदा टोपनो: सभापति महोदय, यह सच है कि पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स, विशेषकर राठोरकेला स्टील प्लांट में श्रमिकों की प्लांट में कार्य करते वक्त मृत्यु हो जाती है लेकिन जब उनकी पत्नियां अपने बच्चों के पालन-पोषण, रिहेबिलिटेशन हेतु नौकरी के लिए मैनेजमेंट के समक्ष अप्लाई करती हैं तो महिला होने के नाते उन्हें नौकरी नहीं दी जाती। मेरे डिस्ट्रिक्ट, मेरी कांस्टीट्यूएन्सी में अधिकांश श्रमिक शेडयूल्ड कास्ट, शेडयूल्ड ट्राइब वर्ग के हैं। कुछ काम न पाने के कारण उनके बच्चों को तकलीफ होती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि ऐसी महिलाओं और उनके बच्चों के पालन-पोषण के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रबंध किए जा रहे हैं।

डॉ. सत्यनारायण जटिया: सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के परिवार के लिए पेंशन की व्यवस्था है। यदि उनकी मृत्यु किसी एक्सीडेंट में हो जाए तो इसकी क्षति पूर्ति के लिए एक अधिनियम है, ई. एस. आई. का कानून है जिसके अंतर्गत क्षति पूर्ति की सुविधा रखी गई है। स्वास्थ्य के संबंध में भी उपचार के लिए अस्पताल खोले गए हैं। वहां आक्यूपेशनल डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स हैं। इसके अतिरिक्त यदि उनके स्पेशल उपचार के लिए खर्च की व्यवस्था भी ई. एस. आई. में की गई है।...(व्यवधान)...

श्री दीपांकर मुखर्जी: सब नियम हैं लेकिन पालन नहीं होता है। उसके लिए यह सरकार है।...(व्यवधान)...

श्रीमती शबाना आज़मी: दूध की नदियां भी बहती हैं कि नहीं।...(व्यवधान)...

श्री दीपांकर मुखर्जी: ये चलते हैं या नहीं ये नहीं देखा है।...(व्यवधान)...

डॉ. सत्यनारायण जटिया: कानून तो पालन करने के लिए ही होता है। इसलिए कानून का पालन करने की दृष्टि से अधिकारियों को प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे इन कानूनों का पालन करें... (व्यवधान)...

श्री दीपांकर मुखर्जी: आप पालन नहीं कर रहे हैं। पेंशन नहीं दे रहे हैं, ग्रेच्युटी नहीं दे रहे हैं... (व्यवधान)... सब पालन सरकार कर रही है... (व्यवधान)... सब नियमों का उल्लंघन भी सरकार कर रही है... (व्यवधान)... यह सरकार सिर्फ नियमों को भंग करने के लिए है... (व्यवधान)...
The law-makers have become the law-breakers.

डॉ. सत्यनारायण जटिया: यह कहना मुनासिब नहीं होगा कि कानूनों का पालन करने की दृष्टि से यह सरकार अवहेलना करती है। जो सुविधाएं हैं उन्हें देने के उपाय किए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ई. एस. आई. की सर्विस में 80,00,000 लोग कार्यरत हैं, 4.5,00,00,000 लोगों को स्वास्थ्य की सेवा दे रहे हैं, प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत 2,40,00,000 लोगों को पेंशन की सुविधा दे रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में भी सरकार इन उपायों को लागू करने के लिए सरकार इन्हें आइडेंटिटी कार्ड देकर उनके अधिकारों को और अच्छा बनाने की कोशिश कर रही है। हमारा यह प्रयास आपको आने वाले समय में बेहतर बनकर दिखाई देगा।

श्री दीपांकर मुखर्जी: धन्य हो महाराज... (व्यवधान)...

श्री बालकवि बैरागी: सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी स्वयं इस प्रश्न का अध्ययन कर चुके हैं। बेहतर होगा कि वे खुद बोलें ताकि सारा फैसला हो जाए... (व्यवधान)... यह बहुत गंभीर मामला है... (व्यवधान)... आप स्वयं इसमें हस्तक्षेप कीजिए... (व्यवधान)... आप यहां उपस्थित हैं इसलिए आपसे हस्तक्षेप की उम्मीद है... (व्यवधान)... आपको बोलना चाहिए, श्रीमान्, आपको मौन तोड़ना चाहिए, यह बहुत गंभीर मामला है... (व्यवधान) ...

श्री जीवन राय: ये क्या जवाब देते हैं... (व्यवधान)... इनके जवाब में तो संगीत का स्वर सुनाई देता है... (व्यवधान)...

श्री रामचन्द्र खूंटीआ: आपको जवाब देना चाहिए... (व्यवधान)... यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है... (व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: No, nothing. (Interruptions). No, no. Now, Shrimati Savita Sharda.

श्रीमती सविता शारदा: सभापति महोदय, मैं... (व्यवधान)...

श्रीधरी चुभ्री लाल: बैरागी जी, जरा इस महिला का सम्मान कीजिए।

श्रीमती सविता शारदा: सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि वर्ष 1995—2000 तक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत महिलाओं को रोजगार दिया गया?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि हर राज्य में सरकारी एवं असंगठित क्षेत्र में राज्यवार स्थिति क्या है? मंत्री जी, आपने बताया कि राज्य और केंद्र सरकार पर बहुत सारे उत्तरदायित्व हैं जो रोजगार योजनाएं महिला बहिनों के लिए बनती हैं वे उन तक नहीं पहुंचती। आज भी स्थिति यह है कि महिलाओं से रजिस्टर पर साइन करवा लिए जाते हैं लेकिन उन्हें वेतन भत्ता कम दिया जाता है। अनपढ़ होने के नाते वे समझ नहीं पातीं। मैं जानना चाहती हूं कि ऐसी रोजगार बहिनों के लिए आपकी क्या योजना है।

श्री दीपांकर मुखर्जी: आपको तो यहां होना चाहिए, वहां क्यों बैठी हैं?

डॉ. सत्यनारायण जटिया: सभापति महोदय, मैं माननीया सांसद को बताना चाहता हूं कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार देने का काम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम रोजगार किस प्रकार देते हैं, मैं इसकी जानकारी लेकर माननीया सांसद को उपलब्ध करा दूंगा। जहां तक महिलाओं को कम वेतन देने के बारे में रजिस्टर पर दस्तखत कराने के बारे में है, इसकी शिकायत आने पर जांच का काम होता है और जो प्रकरण मैंने बताए हैं, जहां जहां भी इस प्रकार की इक्वल रेमुनेशन देने में कोताही की गई है, उनके बारे में हमने हर प्रकार की कार्यवाही की है। अगर कोई पार्टिकुलर शिकायत उनकी है तो निश्चित रूप से सरकार उस में जा कर के न्याय दिलाने का काम करेगी।

* 164. *[The Questioner (Shri C.O. Poullose) was absent. for answer vide page 25 infra.]*

* 165. *[The Questioner (Shri Solipeta Rmachandra Reddy) was absent. for answer vide page 26 infra.]*

* 166. *[The Questioner (Shri K.M. Khan) was absent. for answer vide page 26 infra.]*

* 167. *[The Questioner (Shri Drupad Borgohain) was absent. for answer vide page 30 infra.]*

MR. CHAIRMAN: Question Nos. 164 to 167—hon. Members absent. Now, Question No. 168.

Setting up of Agri-Clinic and Agri-Business Centres

*168. **PROF. M. SANKARALINGAM:** Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government would be setting up agri-clinic and agri-business centres where farmers can get the latest information on technology, capital investment, etc.